अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2014–15/ 4191-4260 दिनांक : 31/8/18

निदेशक
राज्य कृषि प्रशिक्षण केन्द्र,
दुर्गापुरा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि, गुण नियंत्रण/(शष्य)ज.उ.प्र./
पौध व्याधि राज्य जैव उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला,
दुर्गापुरा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि (विस्तार), खण्ड
बीकानेर/भीलवाड़ा/श्रीगंगानगर/
जयपुर/जालौर/जोधपुर/कोटा/
सीकर/उदयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि (तिलहन),
भरतपुर।

विषय : निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु केम्प आयोजन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 16.08.2018 एवं इससे पूर्व की ऑडिट कमेटी बैठकों में प्रमुख शासन सचिव, महोदया द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों की अनुपालना लम्बी अवधि से बकाया होने तथा प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने को गम्भीरता से लिया है, साथ ही बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण हेतु कैम्प आयोजन कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु निदेशक, निरीक्षण विभाग में कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।

इस संबंध में आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों की बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालनाऐं तथा जिन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट नहीं भिजवाई गयी है, की अनुपालनाऐं अपनी टिप्पणी सहित भिजवाने हेतु पूर्व में वित्त खण्ड के अतिरिक्त श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा भी पृथक से पत्र लिखे गये है।

अतः आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बकाया आक्षेपों की प्रति संलग्न कर समस्त आक्षेपों की अनुपालना तथा जिन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट नहीं भिजवाई गयी है, की अनुपालनाऐं अपनी टिप्पणी सहित यथा संभव दिनांक 17.09.2018 तक डॉक द्वारा अथवा व्यक्तिशः उपलब्ध करावें, ताकि कैम्प में अधिक से अधिक बकाया आक्षेपों का निस्तारण हो सके। आप द्वारा वांछित अनुपालनाऐं उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगे तथा निर्देशानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2014–15/ 4191-4260 दिनांक : 31/8/18

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप निदेशक/सहायक निदेशक, कृषि (वि0)/कृषि अनुसंधान अधिकारी ....को प्रेषित कर लेख हैं कि भौतिक सत्यापन के बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालना दस दिवस में संयुक्त निदेशक, कृषि कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
2. ACP को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार, कृषि